न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—01/2013/223 (2013/00156)

1. घीसा दत्तक पुत्र गिरधारी, जाति जाट, निवासी गांव गोपालपुरा—करांटी, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती चन्दरी पत्नि स्व0 गिरधारी, जाति जाट, निवासी गांव कराठी, हाल निवासी निमेड़ा—गनाहेड़ा, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती शीलादेवी पत्नि गजराज, जाति जाट, नि0 ग्राम बरल दोयम, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक तहसीलदार, भिनाय जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, भिनाय, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, भिनाय, दिनांक 16.1.2013 अंतर्गत वाद संख्या 26/2012.

उपस्थितः—

1. श्री अविनाथ माथुर, वकील अपीलांट।
2. श्री गौरव दवे, वकील रेस्पो0 संख्या 2.
3. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 से 5.

निर्णय

दिनांकः— 21.5.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.1.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 व धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधि0 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया मौजा करांटी तहसील भिनाय के खसरा नंबर 1256 रकबा 0.0700, खसरा नंबर 1257 रकबा 0.3300 है0, खसरा नंबर 1614 रकबा 0.2100 है0, खसरा नंबर 1688 रकबा 0.0400 है0, खसरा नंबर 1689 रकबार 0.2500 है0, खसरा नंबर 2787 रकबा 2.2500 है0, खसरा नंबर 2788 रकबा 0.2600 है0, खसरा नंबर 2789 रकबा 1.2500 है0, खसरा नंबर 2798 रकबा 3.700 है0 व 418 रकबा 0.0400 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 8.4000 है0 भूमि बाबत् पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी के पक्ष में गोदनामा होने से गोदपुत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराकर बंटवारा व

दुरूस्ती की जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि बाबत् एक वाद संख्या 529/08 दिनांक 27.10.2008 नया नंबर 143/10 घीसा बनाम चन्द्री वगै0 व प्रार्थना पत्र संख्या 292/08 नया नंबर 41/10 दिनांक 27.10.2008 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 25.2.2011 को खारिज हो जाने से कोई अपील नहीं करने से वाद रेस्ज्यूडिकेटा के आधार पर खारिज किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनकर प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज करने के आदेश दिनांक 16.1.2013 को पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात व वाद में अंकित अभिकथनों से यह सुस्पष्ट था कि पूर्व में पेश किया गया वाद गुणावगुण पर निर्णित न किया जाकर, गैर हाजरी में ही खारिज किया गया था एवं वादी को आदेश 9 नियम 4 जा0दी0 के तहत पुनः वाद पेश करने का अधिकार हांसिल था, किन्तु अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों की अनदेखी कर व आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 का निणर्इय व डिक्री दिनांक 16.1.2013 न तो न्यायसंगत है व न ही नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुकूल ही है कारण कि अधी0न्याया0 का अपीलाधीन निर्णय व डिक्की तर्कपूर्ण व न्यायोचित कारणों व आधारों से रहित है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने यह मानकर कि राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रभावशून्य घोषित करने का अधिकार नहीं है, जबकि विधि इस बाबत् सुस्पष्ट है कि राजस्व न्यायालय को कृषि भूमियों बाबत् निष्पादित दस्तावेज वादी के अधिकारों के प्रति बेब–इनिशिओ वोईड घोषित करने का अधिकार अंतर्गत धारा 207 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्राप्त है एवं इस बाबत् अधी0न्याया0 में पेश जसवंतसिंह बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1984 आर0एल0आर0 पेज 791 व हाल सन् 2012 का राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत विजयसिंह बनाम बुद्धा पेश किया था जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई का एकमात्र क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है । अधी0न्याया0 ने उक्त न्यायिक दृष्टांतों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसमत् नहीं माना जा सकता है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने मनमाने रूप से पंजीकृत गोदनामा दिनांक 26.4.1991 बाबत् कथनों को बिना किसी साक्ष्य के स्वंय के स्तर पर ही भ्रमित करने वाला मानकर व टाईपशुदा गोदनामे की प्रमाणित प्रतिलिपि बाबत् हाथ से लिखने का अंकन को भ्रमित मानकर व इस बिन्दु को खारिज करने का आधार आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र में बनाकर भूल की है जबकि दोनों ही प्रार्थना पत्रों में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी पत्र पेश हो चुके थे तो अधी0न्याया0 को पक्षकार के अभिवचनों के अनुसार तनकी की रचना कर व साक्ष्य व सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 के समक्ष यह अकाट्य साक्ष्य के रूप में पंजीकृत गोदनामा जो कि वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 26.4.

1991 को निष्पादित किया है व जिसमें यह स्वीकार किया है कि वादी को दिनांक 20.4.1978 को ही उसके पति की उपस्थिति में गोद ले लिया गया था अतः वादी के पिता गिरधारी की मृत्यु के बाद उसका भी मृतक गिरधारी का पुत्र व उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा हो गया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअदांज कर वादी का वाद तकनीकी आधार पर खारिज करने में त्रुटि कारित की है । यह भी कथन किया कि पूर्ववर्ती वाद एवं वर्तमान वाद क पक्षकारान समान नहीं थे न ही अनुतोष समान है फिर भी अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने तनकियात कायम नहीं की व न ही अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.1.2013 निरस्त किया जाकर प्रतिवादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 निरस्त किया जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादी/अपीलांट द्वारा पूर्व में भी विवादित आराजियात बाबत् वाद पेश किया था जो खारिज हो चुका था । अब पुनः उन्हीं आराजियात बाबत् पुनः वाद पेश किया गया है जो रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धांत से बाधित है । विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 को विरासत से प्राप्त हुई है तथा रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा कुछ भूमियां रेस्पो0 संख्या 2 को बेचान की गई है । पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है । अपीलांटस सक्षम सिविल न्यायालय से पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । यह भी कथन किया कि अपीलांट गोदपुत्र के आधार पर वाद पेश किया है किन्तु गोदपुत्र को साबित कराये बिना अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है । अपीलांट द्वारा उन्हीं भूमियों बाबत् पुनः वाद पेश किया गया है जो निश्चित रूप से रेस्ज्यूडिकेटा से बाधित होने से अधी0न्याया0 ने वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने स्वंय को खातेदार गिरधारी का गोदपुत्र बताकर वाद प्रस्तुत किया है । इसके विपरीत रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांट गोदपुत्र नहीं है तथा अपीलांट द्वारा पूर्व में भी एक वाद संख्या 529/08 नया नंबर 143/10 घीसा बनाम चन्द्री दिनांक 27.10.2008 को प्रस्तुत किया था जो खारिज हो चुका है उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने अपील न कर पुनः नया वाद पेश किया है जो रेस्ज्यूडिकेटा के सिद्धांत से बाधित होने के कारण अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 सही रूप से स्वीकार कर वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत किये जाने के उपरांत प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया है तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर वाद रेस्ज्यूडिकेटा से बाधित होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया है । जब अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत हो चुका था तो अधी0न्याया0 को चाहिये था कि प्रतिवादीगण ने जो ऐतराज प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में उठाये है उस संबंध में तनकी कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई

का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट के वाद को मात्र तकनीकी आधार पर निर्णित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । रेस्ज्यूडिकेटा का प्रश्न तथ्य एवं विधि का प्रश्न होने से इस संबंध में तनकी कायम किया जाना आवश्यक् था तथा उक्त प्रश्न का साक्ष्य के उपरांत ही निस्तारण किया जाना विधिसम्मत् था । अपीलांट के पक्ष में खातेदार गिरधारी द्वारा गोदनामा निष्पादित किया गया था अथवा नहीं तथा रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा 2 के पक्ष में किया गया पंजीकृत विक्रय पत्र को राजस्व न्यायालय शून्य अथवा निरस्त कर सकता है अथवा नहीं इन सभी तथ्यों पर अधी0न्याया0 को तनकी कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां प्रकरण को तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.1.2013 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर